कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 330/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 10.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01. थाना मुबारकपुर: मारपीट के अभियोग मे वांछित अभियुक्त मुम्बई महाराष्ट्र से गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 06.03.2025 को वादी मुकदमा शिवकुमार यादव पुत्र स्व0 बरखू यादव निवासी लंगडपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा तार हटाने की विवाद को लेकर वादी की पत्नी पूनम यादव को गाली गलौज देते हुए हथौड़े से सिर पर मारना पीटना जिससे वादी की पत्नी बेहोश हो गयी व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 95/2025 धारा 115(2),352,351(3),110 BNS बनाम ओमप्रकाश यादव पुत्र अम्बिका यादव ग्राम लंगड़पुर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी बनकट उ0नि0 धर्मराज यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 03.09.2025 को प्र0नि0 मुबारकपुर शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन मे उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त ओमप्रकाश यादव पुत्र अम्बिका यादव ग्राम लंगड़पुर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु मुताबिक लोकेशन मुम्बई रवाना किया गया था। जहाँ पर उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह पुलिस बल के मुम्बई पहुंचकर अभियुक्त के लोकेशन टीजे रोड नियर सुन्दर टावर सिवड़ी मुम्बई से दिनांक 08.09.2025 को समय करीब 02.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। तत्पश्चात मा0न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर थाना हाजा लाया गया है। नियमानुशार अग्रेतर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- ओमप्रकाश यादव पुत्र अम्बिका यादव ग्राम लंगड़पुर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 95/2025 धारा 115(2),352,351(3),110 BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 श्री धर्मराज यादव मय हमराह का0 आनन्द यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

02.थाना- बरदहः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 30.06.25 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 29.06.25 को दोपहर में 2.30 बजे के लगभग मेरी बेटी को शिवम कश्यप पुत्र अजय कश्यप ग्राम सोफीपुर थाना देवगांव बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया, शिवम पहले से शादी-शुदा हैं और दो बच्चे का पिता भी हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/25 धारा 137(2)/87 BNS बनाम शिवम कश्यप उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 06.09.2025 को समय करीब 22.00 बजे महिला आरक्षी प्रीती पटेल के साथ पीड़िता को जिवली तिराहे से बरामद किया गया था। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 BNSS व 183 BNSS के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बी.एन.एस. व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 10.09.25 को उ0नि0 अम्बुज कुमार राही मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवम कश्यप पुत्र अजय कश्यप उम्र 22 वर्ष ग्राम सोफीपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को समय करीब 09.20 बजे भीरा बाजार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- शिवम कश्यप पुत्र अजय कश्यप उम्र 22 वर्ष ग्राम सोफीपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 192/25 धारा 137(2)/87/64(1) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 अम्बुज कुमार राही थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 नितिन श्रीवास्तव थाना बरदह, आजमगढ़

03.थाना जहानागंजः अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 09/09/25 को व0उ0नि0 वीरेंद्र यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति एकलाख पुत्र मुमताज निवासी मंदे (लोहरगांवा) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष को 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ लंगड़ा बाबा के पास सेमा नहर पुलिया के पास से समय 23.55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0स0 281/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग—

1-मु0अ0सं0 281/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण व आपराधिक इतिहास-

1. एकलाख पुत्र मुमताज निवासी मंदे (लोहरगांवा) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष

1-मु0अ0सं0 242/24 धारा 323/34/352/504/506 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी:-

1-01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- व0उ0नि0 वीरेंद्र यादव, उ0नि0 शिवम त्यागी, हे0का0 शिवध्यान पाण्डेय, का0 ऋषि कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

04.थाना- बरदह: गोवध अधिनियम में 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.25 को वादी मुकदमा उप निरीक्षक उमेशचन्द्र यादव द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया कि आमजन द्वारा सूचना मिली की मौजा लसड़ा खुर्द नहर के पास अज्ञात पशु का अवशेष पड़ा हैं, लगभग 10 कि0ग्राम मिली जिसें कब्जा पुलिस में लिया गया। तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवेही की जा रही हैं। घटना दिनांक 21/8/25 की हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 254/25 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 10.09.25 को उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त मकसूद पुत्र अजीज ग्राम सोफीगढ थाना अहरौला , जनपद आजमगढ हाल पता ग्राम जखावा , थाना बरदह , जनपद आजमगढ व रुस्तम पुत्र अजीज ग्राम सोफीगढ थाना अहरौला , जनपद आजमगढ हाल पता ग्राम जखावा , थाना बरदह , जनपद आजमगढ को लसडा कला नहर के पास पुलिया पास से समय 03.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. मकसूद पुत्र अजीज ग्राम सोफीगढ थाना अहरौला , जनपद आजमगढ हाल पता ग्राम जखावा , थाना बरदह , जनपद आजमगढ
2. रुस्तम पुत्र अजीज ग्राम सोफीगढ थाना अहरौला , जनपद आजमगढ हाल पता ग्राम जखावा , थाना बरदह , जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरणः- अभियुक्त मकसूद के कब्जे से

1.- एक अदद लकडी का बडा ठीहा

2.- दो अदद प्लास्टिक की बडी रस्सी

3. दो अदद धारदार चाकू

आपराधिक इतिहास-

1-मकसूद पुत्र अजीज ग्राम सोफीगढ थाना अहरौला , जनपद आजमगढ हाल पता ग्राम जखावा , थाना बरदह , जनपद आजमगढ

1. मु0अ0सं0 55/15 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध नि0 अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 0056/2015 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, 1959 थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 0237/2015 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गौवध नि0 अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 थाना बरदह, आजमगढ़
4. म0अ0सं0 230/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 143/2021 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गौवध नि0 अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 थाना बरदह, आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 0453/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 थाना बरदह, आजमगढ़
7. . मु0अ0सं0 105/22 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व3/5A/8 उ0प्र0 गौवध नि0 अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 थाना दीदारगंज, आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 160/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 254/25 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

2-रुस्तम पुत्र अजीज ग्राम सोफीगढ थाना अहरौला , जनपद आजमगढ हाल पता ग्राम जखावा , थाना बरदह , जनपद आजमगढ

1. . मु0अ0सं0 0237/2015 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गौवध नि0 अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 08/2016 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गौवध नि0 अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 थाना बरदह, आजमगढ़
3. म0अ0सं0 230/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 105/22 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व3/5A/8 उ0प्र0 गौवध नि0 अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 थाना दीदारगंज, आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 160/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 254/25 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 उमाशंकर सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0आ0 संतोष कुमार शाह थाना बरदह, आजमगढ़

3. आरक्षी छोटे लाल थाना बरदह, आजमगढ़
4. का0 त्रिलोक नाथ पाण्डेय थाना बरदह, आजमगढ़
5. का0 संदीप कुमार यादव थाना बरदह, आजमगढ़

05.थाना – जहानागंजः साइबर फ्राड के 24,001 रूपयें आवेदक के खातें में कराया गया वापस।

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 26.06.2025 को आवेदक सूरज राय पुत्र सिद्धनाथ ने 3:20 p.m पर अपने मोबाइल नंबर 95192xxxx से गूगल पे द्वारा सीमा यादव के मोबाइल नंबर 63074xxxxx पर 24001 रुपए भेजा जो उनके खाते में नहीं गया। तब प्रार्थी ने उसी दिन साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई जिस पर कार्यवाही होकर जिसके खाते में पैसा गलत तरीके से ट्रांसफर हो गया था उसे होल्ड कर दिया गया था।

उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा 24001 रूपये आवेदक के खाते में दिनांक 10.09.2025 को वापस करा दिया गया।

साइबर पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष श्री अतुल कुमार मिश्रा, 2.उ0नि0 श्री राहुल कुमार, 3.उ0नि0 श्री विनय कुमार, साइबर टीम थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

06.थाना- जीयनपुर: लोको पायलट के साथ मारपीट कर घायल करने व इलाज के दौरान हुई मृत्यु में वांछित 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 08.09.2025 को आवेदक अजीत कुमार पुत्र श्री इन्दल राम निवासी नौशहरा कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 07.09.2025 को शाम लगभग 5.48 बजे मेरा भाई दुर्गश ने अपने मो0- से बताया कि ज्ञानेन्द्र मिश्रा पुत्र मारकण्डेय मिश्रा तथा गणेश यादव व उनके लड़के ने मुझे मारपीट कर मेरे खेत के पास छोड़कर चले गये है। मुझसे चला नही जा रहा है , मुझे आकर ले चलिए मै व मेरी चाची पुष्पा देवी तुरन्त पहुचे। मै इलाज के लिए अमीना तिब्बिया हास्पीटल जीयनपुर गये जहाँ डाक्टर ने जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा , मै अपने भाई दुर्गेश कुमार को अपने परिवार के साथ नीजी वाहन से आजमगढ़ के लिए चला तो मेरे भाई दुर्गेश कुमार ने रास्ते मे बताया कि मुझे गणेश यादव पुत्र अज्ञात, अजय यादव पुत्र गणेश यादव , श्रवण यादव पुत्र विश्वनाथ यादव, शेरू यादव पुत्र अज्ञात, गोविन्द्र यादव पुत्र अज्ञात, निवासीगण बाजार खास जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मुझे मारे पीटे है जिससे मुझे चोट आ गई है। जब मै अपने भाई को अस्पताल लेकर पहुचे तो सदर अस्पताल के डाक्टर ने मेरे भाई को देखकर मृत घोषित कर दिये। दिनांक 25.8.25 को उपरोक्त लोगो द्वारा लगभग 11.00 बजे दिन मे मेरे घर आकर मेरे भाई दुर्गेश को जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में, प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 357/2025 3(5)/105BNS व 3(2)5 SC/ST ACT बनाम 1.गणेश यादव पुत्र अज्ञात निवासीगण बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ आदि 05 नफर पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मे धारा 105BNS व 3(2)5 SC/ST ACT का धारा 108 BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 एससी/एसटी एक्ट मे संशोधन हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 10.08.2025 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.गणेश यादव पुत्र स्व0 रामलखन यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2.अजय यादव पुत्र गणेश यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.शेरू यादव पुत्र सूरज यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 4.गोविन्द यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 5. ज्ञानेन्द्र मिश्रा पुत्र मारकण्डेय मिश्रा निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को रजादेपुर चौराहे के पास से नियमानुसार समय करीब 12.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.गणेश यादव पुत्र स्व0 रामलखन यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष
2.अजय यादव पुत्र गणेश यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष
3.शेरू यादव पुत्र सूरज यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष
4.गोविन्द यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष
5.ज्ञानेन्द्र मिश्रा पुत्र मारकण्डेय मिश्रा निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 357/2025 3(5)/105BNS व 3(2)5 SC/ST ACT संशोधित धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/108 BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.गणेश यादव पुत्र स्व0 रामलखन यादव निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0स0 04/2021 धारा 323/504/506/452भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

2. ज्ञानेन्द्र मिश्रा पुत्र मारकण्डेय मिश्रा निवासी बाजार खास कस्बा जीयनपुर जनपद आजमगढ़

1-मु0अ0सं0 350/2013 धारा 147/148/336/307/353/332/333/341/435/436 भादवि व 7 CLA Act. व 3/5 लोक सम्पत्ति निवारण अधि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष जितेन्द बहादुर सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 राजीव कुमार मिश्रा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अमरजीत यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4.का0 निलेश प्रताप सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5.का0 हरिकिशन मौर्या थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>07.थाना गम्भीरपुर: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 01.04.2025 को वादिनी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 31.3.25 को सुबह लगभग 9 बजे विपक्षी आशीष सरोज पुत्र चन्द्रिका सरोज निवासी ग्राम पकडी खुर्द (टिकरी) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ अपने सहयोगी आदित्य विश्वकर्मा पुत्र रामअवध विश्वकर्मा व रोहित सरोज पुत्र धर्मेन्द्र सरोज समस्त निवासीगण ग्राम पकडी खुर्द (टिकरी) थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के सहयोग/मिलीभगत से वादिनी की नाबालिग लड़की उम्र लगभग 15 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गये व दुष्कर्म किया गया, के सम्बंध में थाना गम्भीरपुर पर मु.अ.सं. 85/2025 धारा 137(2),87,70(2) BNS व ¾(2) पाक्सों एक्ट बनाम बनाम 1. आशीष सरोज पुत्र चन्द्रिका सरोज थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ आदि 03 नफर पंजीकृत हुआ था। जिसमें अभियुक्त आशीष सरोज पुत्र चन्द्रिका सरोज वांछित चल रहा था।

<u>गिरफ्तारी का विवरण-</u>

दिनांक 10.09.2025 को उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आशीष सरोज पुत्र चन्द्रिका सरोज ग्राम पकडी खुर्द (टिकरी) थाना देवगांव जनपद आजमगढ को समय करीब 09.35 बजे ग्राम पकड़ी खुर्द (टिकरी) देवगाँव से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-</u>

1- आशीष सरोज पुत्र चन्द्रिका सरोज ग्राम पकडी खुर्द (टिकरी) थाना देवगांव जनपद आजमगढ

<u>पंजीकृत अभियोग</u>

1. मु.अ.सं. 85/2025 धारा 137(2),87,70(2) BNS व ¾(2) पाक्सों एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

1. उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप मय हमराह थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़।

थाना
जनपद
सत्यमेवजयते

08.थाना – अहरौला: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 22.08.2025 को वादी मुकदमा थाना अहरौला जिला आजमगढ उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 21/22.08.2025 को विपक्षी विजय राजभर द्वारा वादी की लड़की को बहला फुसला करके घर से भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0स0 305/25 धारा 137(2)/87 BNS बनाम 1. विजय राजभर पुत्र नन्दू राजभर निवासी बनरहिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. आलोक पुत्र सूबेदार ग्राम फत्तेपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा द्वारा की जा रही थी जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 10.9.25 को उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वान्छित अभियुक्त विजय राजभर पुत्र नन्दू राजभर निवासी पहिजन रामपुर थाना- अहरौला जनपद- आजमगढ़ को बरसातीगंज समसाबाद से समय करीब 08.45 बजे हमराहीगण की मदद से बरसातीगंज समसाबाद से कूछ दूरी पर गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- विजय राजभर पुत्र नन्दू राजभर निवासी पहिजन रामपुर थाना- अहरौला थाना- अहरौला जनपद- आजमगढ़ उम्र 19

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 305/25 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण.........

1.उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

2.का.विनोद कुमार यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

09. यातायात पुलिस जनपद आजमगढ़: नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत कुल 105 वाहनों का चालान।

आज दिनांक- 10.09.2025 को हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ व विवेक त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात के कुशल निर्देशन में शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में घटित सड़क दुर्घटनाओं में अभीष्ठ कमी लाये जाने व "नो हेलमेट, नो फ्यूल " अभियान के अन्तर्गत यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के संयुक्त टीम द्वारा जनपद के आजमगढ़ – वाराणसी मार्ग व आजमगढ़– मऊ मार्ग पर पड़ने वाले समस्त पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल पम्प कार्यरत कर्मियों व आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया तथा पेट्रोल पम्प कार्यरत कर्मियों निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट के किसी भी व्यक्ति को फ्यूल न दिया जाये। आमजन को यातायात नियमों के पालन करने का साथ – साथ दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने व पीछे बैठे सवारी को भी हेलमेट का प्रयोग करने हेतु बताया गया।

अभियान के दौरान कुल 12 पेट्रोल पम्पों पर चेकिंग की गयी एवं यातायात पुलिस द्वारा बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वाले कुल 105 के चालकों चालान किया गया। संयुक्त टीम में अतुल कुमार यादव, ARTO आजमगढ़ , श्री विक्रांत सिंह , PTO आजमगढ़ , प्रभारी यातायात उ0नि0 धनंजय शर्मा, उ0नि0 याता0 श्री जयशंकर सिंह, उ0नि0 याता0 श्री गोविन्द प्रसाद, मु0आ0 चन्द्रशेखर राम, मु0आ0 आशीष यादव, मु0आ0 संजय मौर्य व मु0आ0 आशुतोष यादव व अन्य कर्मी मौजूद रहे।

10.थाना–जहानागंज: साइबर फ्राड के 98,000/- रूपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 01.06.2025 को प्रार्थी उदयभान सिंह पुत्र भोला सिंह नि0 रामपुर गोधौरा थाना जहानागंज आजमगढ़ ने 2:21 A.M, 7.22 A.M. , 7.15 A.M. व 7.26 A.M. पर आवेदक के खाते से क्रमश 50,000/-रुपये , 40,000/- रुपये , 5000/- रुपये व 3000/- रुपये कुल 98,000/- रुपये कट गये थे। तत्पश्चात प्रार्थी ने उसी दिन साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई जिस पर कार्यवाही होकर विभिन्न खातो में पैसा को होल्ड कर दिया गया था।

उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा 98,000/- रूपये आवेदक के खाते में दिनांक 10.09.2025 को वापस करा दिया गया।

साइबर पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अतुल कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार
3. उ0नि0 श्री विनय कुमार , साइबर टीम जहानागंज, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

<u>प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 10.09.2025, जनपद आजमगढ़</u>

#Azamgarh: 48वीं यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता 2025 के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्टेट स्तर पर (पुलिस सेवाएं) पुरुष वर्ग (टीम) में 1st रैंक (गोल्ड मेडल) व #पुलिस सेवाए व्यक्तिगत में 3rd_रैंक (काँस्य पदक) प्राप्त करने वाले स्टेनो (S.P. CITY) तथा महिला वर्ग में #2nd_रैंक (सिल्वर मेडल) प्राप्त करने वाली महिला आरक्षी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नकद पुरस्कार से किया सम्मानित।

यू0पी0 स्टेट राइफल एसोसिएशन लखनऊ द्वारा आयोजित 48वीं यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता 2025 में जयपुर, राजस्थान में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया, जिसमें पुरुष वर्ग में संजीव पाण्डेय स्टेनो (S.P. CITY AZH) द्वारा गोल्ड, व ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया गया तथा महिला आरक्षी शिरीना बानों पुलिस कार्यालय आजमगढ़ द्वारा महिला वर्ग पुलिस सेवाएं में सिल्वर मेडल प्राप्त किया गया। उक्त प्रतियोगिता में उ0प्र0 (पुलिस सेवाएं) में स्टेट स्तर पर क्रमशः 1st रैंक (गोल्ड मेडल), 2nd रैंक (सिल्वर मेडल) व 3rd रैंक ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया गया तथा , जिसके क्रम में आज दिनांक 10.09.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा उक्त स्टेनों व महिला आरक्षी को नकद पुरस्कार से सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई।